

आवारा पशुओं के खिलाफ चला अभियान, कटरा बाजार स्थित कृष्ण गोशाला में रखने की हुई व्यवस्था पहले दिन 22 गायें पहुंचाई गई गोशाला

पटना सिटी | हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री की पहल पर सड़कों पर खुले रूप से विचरण करने वाले बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। पहले दिन 22 गायों को कृष्ण गोशाला पहुंचाया गया। अभियान के दौरान पकड़ी गई गायों को कटरा बाजार गोशाला में रखने की व्यवस्था की गई है।



मंगलवार को कटरा बाजार गोशाला में निरीक्षण करने पहुंचे डीएम एसके अग्रवाल।

डीएम ने किया निरीक्षण

- गायों के रख-रखाव के लिए राज्य सरकार से मुहैया कराई जाएगी उचित राशि
- आवारा गायों पर लगगे लाल मार्क, पशु मालिकों से वसूला जाएगा जुर्माना

निगम रात में भी चलायेगा अभियान

आवारा पशुओं के खिलाफ निगम अब रात में भी अभियान चलाएगा। पहले दिन विभिन्न थाना क्षेत्रों से 22 बेसहारा गायों को पकड़ा गया। जिसमें तीन गाय सिटी अंचल के एनएमसीएच रोड व आईडीएच कॉलोनी से पकड़ा गया है।

नियमित होगी स्वास्थ्य जांच

डीएम ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि श्रीकृष्ण गोशाला में प्रत्येक मंगलवार को एक पशु डॉक्टर व गुरुवार को एक कम्पाउंडर अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मांग के अनुरूप चिकित्सकों की उपलब्धता गोशालों में सुनिश्चित करेंगे।

इसको लेकर मंगलवार की शाम डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने कटराबाजार, दीदारगंज स्थित श्रीकृष्ण गोशाला के सड़क मुआयना किया। डीएम ने बताया कि सड़क पर विचरण करने वाली गायों को गोशाला में रखा जाएगा। जहां उनकी समुचित देखरेख के साथ भोजन आदि की व्यवस्था के साथ-साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। इस अभियान से गायों को बेहतर वातावरण, स्वस्थ व भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से

समुचित राशि मुहैया कराई जाएगी। **निगम को गायों को चिन्हित करने का निर्देश** : डीएम ने चारों नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर वैसे गायों की पहचान कराएं, जिसका कोई मालिक नहीं है। उस पर लाल अंक

से मार्किंग कर दी जाए। साथ ही ऐसे पशुओं को सुरक्षित गोशाला पहुंचाने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने बताया कि वैसे गाय जो किसी के पालतू हैं, मगर मालिक द्वारा सड़कों पर विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। वैसे पशुओं को भी पकड़कर मालिक पर जुर्माना लगाया

जाए। डीएम ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य निरह पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। इसके तहत वैसे मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो जानबूझकर गाय को सड़क पर छोड़ देते हैं। जिससे एक ओर यातायात बाधित होती है। वहीं दूसरी ओर यत्रतत्र गंदगी भी

फैलती है। निरीक्षण व बैठक में डीएम संजय कुमार अग्रवाल के अलावा, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, सिटी अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, श्रीकृष्ण गोशाला के सचिव, सिटी अंचल के डीओ अजय कुमार समेत कई लोग शामिल थे।

किरोसिन की आपूर्ति बंद होने पर लोगों का हंगामा

पटना सिटी | हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

तीन माह से राशन की आपूर्ति नहीं होने के विरोध में लोगों ने हंगामा मचाया। वार्ड 60 के माशुक अली रोड में जनवितरण प्रणाली की दुकान के पास दर्जनों महिलाओं व पुरुषों ने राशन की मांग को लेकर विरोध जताया। इसके वजह से माशुक अली रोड में जाम लग गई।

से महंगे दर पर तेल खरीदना पड़ रहा है। जिससे गरीबों को काफी परेशानी हो रही है। इधर दुकानदार आधार कार्ड के नाम पर राशन की कटौती कर रहे हैं। समय पर पीडीएस दुकान नहीं खुलने से काफी परेशानी होती है। राज्य सरकार शीघ्र ही मिट्टी तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कराए। वार्ड पार्थव शोभा देवी ने जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मांग रखी। मौके पर भूषण माली, राज कुमार गौतम, प्रभा देवी, गीता देवी, कपुरी ठाकुर, प्रमिला देवी, साजिया प्रवीण, मौजूद थीं।



मंगलवार को वार्ड-60 में मिट्टी तेल की मांग को लेकर प्रदर्शन करते उपभोक्ता।

बिजली कनेक्शन के नाम पर की टगी

पटना सिटी। बिजली कनेक्शन दिलाने के नाम पर एक महिला से दलाल ने दो हजार रुपए पेट लिए। जब पीड़िता को बिजली कनेक्शन नहीं मिला तो वह पादरी की हवेली स्थित विद्युत कार्यालय जाकर सहायक विद्युत अभियंता को आपबीती बताई। पीड़िता खाजेकलां

थाना क्षेत्र के गुरुदत्ता के पास की रहने वाली है। उसने बताया कि पड़ोस के ही मनोज उर्फ कल्लू उससे बिजली कनेक्शन तुरंत दिलाने के नाम पर दो हजार रुपए पेट लिए। अब वह बार-बार दौड़ा रहा है। एसडीओ राजेश वर्णवाल ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर

इसकी सूचना वरिय अधिकारियों व संबंधित थाना को दी जाएगी। एसडीओ ने बताया कि उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन समेत अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसी बिचौलिए के पास नहीं जाना चाहिए। निर्धारित शुल्क पर शीघ्र ही कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है।

शोक संदेश

मनवर, आर्य दुःख के चक्र युक्ति बना पड़ का है कि मेरे मित्र

ललित कुमार सिन्हा

(संस्कार- 14.07.2017 (शुक्रवार) को हो गया है।
आशु अमर निधन है कि दिवंगत आत्मा की यतिन हू प्रार्थना करें

प्राची- विकास कुमार
एवं समस्त शोकगुरु परिवार

संपर्क सूत्र- 09430558023, 09334921298

गंगा में पूजन सामग्री नहीं फेंकने की अपील

पटना सिटी। नमामि गंगे को लेकर प्रेम युथ फाउंडेशन के बैनर तले सबलपुर में गंगा मित्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसका उद्घाटन करते हुए युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय, नेहरु युवा केन्द्र पटना के एनवाईवी राखी कुमारी ने कहा कि भारत सरकार गंगा को लेकर गंभीर है। इसी के तहत अब गंगा नदी में कचरा डालने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

गंगा हमारी संस्कृति व सभ्यता की पहचान है। गंगा गोमुख से निकलकर बनारस पहुंचते ही गंगा का अमृत जल जहर बन जाता है। पटना में तो गंगा का जल नहाने तक लायक नहीं रहा। उन्होंने लोगों से पूजन सामग्री, मूर्ति व मृत पशु व मानव को गंगा नदी में प्रवाहित नहीं करने की अपील की। फाउंडेशन के निदेशक देवानंद ने कहा कि गंगा को बचाने के लिए गंगा मित्रों को रात-दिन काम करना होगा। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए दीवार लेखन, पदयात्रा, चौपाल, पौधरोपण करने की बात कही। साथ ही पूजन सामग्री से जैविक खाद बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। सम्मेलन में अमरजीत सिंह, गौरव कुमार, प्रियंका कुमारी, नेहा वर्मा, रीना कुमारी, चांदनी कुमारी समेत कई लोग शामिल थे।

प्रेमिका को भी धोखे में रखा था प्रसेनजीत

फॉलोअप खुलासा

पटना। वरिय संवाददाता

चेक क्लोनिंग कर व्यवसायियों के खाते से लाखों रुपए उड़ाने वाले प्रसेनजीत उर्फ रेहान उर्फ नरेश की बिना की-रक

प्रसेनजीत की रिमांड दो दिन और बढ़ी

चेक क्लोनिंग का है भारतसमांड

लगी थी। उससे पूछताछ कर

भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार

नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय, बिहार परिमंडल, दूरसंचार विभाग

आधार शिविर

दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल पेंशनरों के लिए

- क्या आपने आधार नामांकित किया है ?
- क्या आप अपना आवास का पता बदलना चाहते हैं ?
- क्या आप अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं ?

कृपया अपना ID CARD or PPO साथ लायें

स्थान

कार्यालय : नियंत्रक संचार लेखा, बिहार परिमंडल, सी.सी.ए. भवन, संचार परिसर, बुद्ध मार्ग, पटना-1

दिनांक : 21 जुलाई, 2017 (11.00 से 4.00 बजे)

निवेदक

शंकरा नन्द मिश्रा

संयुक्त नियंत्रक (USO & Pension)

Office Tel. No - 0612-2213101

चोरी के माल समेत तीन गिरफ्तार

पटना सिटी। बहादुरपुर पुलिस ने अभियान चलाकर तीन को पकड़ा है। चोरों के पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है। संदलनुर के संजय कुमार उर्फ बबन, छोटे सहनी उर्फ गुलशन तथा अंबेडकर कॉलोनी का कृष्ण कुमार उर्फ छोटे को पकड़ा है। चोरी का एक लैपटॉप, 19 मोबाइल, एक एलईडी टीवी, 18 सौरूप, चार पुड़िया मांजा व चार पुड़िया स्मैक बरामद किया गया है।

कोचिंग संचालक के खिलाफ केस

पटना। नया टोला स्थित एक कोचिंग संस्थान के निदेशक के खिलाफ छात्र एजाज साबरी ने पीरबहोर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। फारिसगंज निवासी एजाज कोयरी टोला में रहकर पढ़ाई करता है। उसने आरोप लगाया है कि जिस कोर्स और बैच में उसने एडमिशन लिया था, उसमें नहीं पढ़ाकर कोचिंग संचालक पुराने बैच में पढ़ने को कह रहे हैं।

होटल प्रबंध खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, हाजीपुर

(एनटीए होटल प्रबंध एवं कोचिंग कक्षाओं/सी पीएच से संबन्धित प्रारंभिक) (एनटीए मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत स्वास्तलगायी विभाग)

संस्थापक चोच के प्रोफे. हाजीपुर, बिहार- 844102, फोन नं. 06224-275354, 274937 फैक्स- 06224-276486, वेबसाइट- www.ihmhajipur.net, ईमेल- hajipurihm@gmail.com

त्रिवर्षीय (क-सत्र) आतिथ्य और होटल प्रशासन में विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम (B.Sc. in Hospitality & Hotel Administration) के शैक्षणिक सत्र 2017-18 में बचे हुए सीटों को भरने की घोषणा

होटल प्रबंध संस्थान, हाजीपुर में त्रिवर्षीय (क-सत्र) आतिथ्य और होटल प्रशासन में विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2017-18 में निम्नलिखित कैटेगरी में बचे हुए सीटों के लिए आवेदन प्रारंभित करता है।

अनुसूचित जाति - 25, अनुसूचित जनजाति - 17. नामांकन पहले आओ पहले नामांकन पाओ के आधार पर किया जायेगा तथा बचे हुए सीटें फूल हो जाने के उपरान्त संस्थान नामांकन लेने हेतु बाध्य नहीं होगा। इच्छुक अर्थवर्षी प्रथम सत्र की फीस रु. 60,899/- डीडी के माध्यम से संस्थान में सभी कागजातों सहित 31 जुलाई, 2017 तक जमा कर संस्थान में नामांकन ले सकते हैं। नामांकन के संबंध में विस्तृत विवरण संस्थान के वेबसाइट www.ihmhajipur.net पर उपलब्ध है।
आवेदनपत्र/वेबसाइट पर उपलब्ध है। 07/2017-07

प्राचार्य

होटल प्रबंध खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, हाजीपुर

(एनटीए होटल प्रबंध एवं कोचिंग कक्षाओं/सी पीएच से संबन्धित प्रारंभिक) (एनटीए मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत स्वास्तलगायी विभाग)

संस्थापक चोच के प्रोफे. हाजीपुर, बिहार- 844102, फोन नं. 06224-275354, 274937 फैक्स- 06224-276486, वेबसाइट- www.ihmhajipur.net, ईमेल- hajipurihm@gmail.com

छिन्तोमा प्रवेश अधिसूचना (बचे हुए सीटों के लिए)

संस्थान वर्तमान सत्र (2017-2018) के लिए निम्नलिखित श्रेणियों/मुखी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बचे हुए सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। नामांकन संबंधित विस्तृत विवरण संस्थान के वेबसाइट www.ihmhajipur.net पर उपलब्ध है। इच्छुक अर्थवर्षी संबंधित कागजातों एवं नामांकन शुल्क के साथ संस्थान में स्वयं आकर दिनांक 28 जुलाई, 2017 तक नामांकन ले सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया पहले आओ पहले नामांकन पाओ के आधार पर होगी तथा सीटें फूल हो जाने के उपरान्त नामांकन के लिए संस्थान बाध्य नहीं होगी।

क्रम	पाठ्यक्रम का नाम	योग्यता	दिनांक 01.07.2017 को अधिकतम आयु सीमा
01	डेप्ट वर्यीय डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन (कुकि)	10+2 या समकक्ष	25 वर्ष सामान्य/पिछड़ा वर्ग हेतु
02	डेप्ट वर्यीय डिप्लोमा फूड एवं बेवरेज सर्विस (वैटर)	10+2 या समकक्ष	28 वर्ष अनुरा जाति/अनुरा जनजाति हेतु

प्राचार्य

AHIT

Admission Open

UG degree course/ 1 year diploma course (July 2017 Batch)

Asian Institute of HOSPITALITY & TOURISM

Blessed By - Dr. Mahesh Sharma
Minister of State for Culture, Tourism Government of India

100% PLACEMENT Assistance

International STUDY TRIP

In-House

- Travel Agency
- Restaurants & Bars
- Fast Food Chain
- Café & Lounge
- Quick Service Restaurant

UG degree course/ 1 year diploma course

- Tourism and Travel Management
- Hotel Management

Marwah Studios Complex, FC-14/15, Film City, Sec-16A, NOIDA
Ph: +91-120-4831100, 8586970236 | sms AAFIT to 57575
info@ahit.edu.in | www.ahit.edu.in

इमरजेंसी में बेड के लिए डॉक्टरों के साथ नोकझोंक

पटना सिटी | हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी में बेड को लेकर डॉक्टर व नर्सों और मरीज के परिजनों के बीच नोकझोंक हुआ। मामले को गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने कुछ मरीजों को तत्काल संबंधित वार्ड में रेफर कर अन्य मरीज को बेड उपलब्ध कराया।

एनएमसीएच

- कुछ मरीजों को वार्ड में रेफर कर उपलब्ध कराया गया बेड
- स्ट्रैचर से जमीन पर मरीज को रखने पर भड़के परिजन

इसके बाद मामला शांत हुआ। हालांकि बेड की समस्या को लेकर इमरजेंसी में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। मंगलवार को तुलसीमंडी के मरीज अशोक कुमार (60 वर्ष) को अचानक तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया था। बेड की कमी होने पर स्ट्रेचर पर ही डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और नर्स को स्ट्रान चढ़ाने का निर्देश दिया। इसी दौरान एक और गंभीर मरीज आ गया। जिसके लिए स्ट्रेचर की जरूरत

थी। वार्ड वॉय मरीज को जमीन पर लिटा कर स्ट्रेचर की मांग कर रहे थे। परंतु परिजन ऐसा करने से राजी नहीं हो रहे थे। इसी को लेकर स्वास्थ्यकर्मी व परिजनो के बीच तु-तू, मैं होने लगी। हालांकि बाद में बेड की व्यवस्था किए जाने पर परिजन शांत हुई। इधर अस्पताल अधीक्षक डॉ. एपी सिंह ने बताया कि इमरजेंसी के इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया था। बेड की कमी होने पर स्ट्रेचर पर ही डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और नर्स को स्ट्रान चढ़ाने का निर्देश दिया। इसी दौरान एक और गंभीर मरीज आ गया। जिसके लिए स्ट्रेचर की जरूरत

शोक संदेश

नेन छिन्दित शस्त्राणि नेन दहति पावकः ।
न वेन कलेदयन्त्यपी न शोषयति मारुतः ॥

अत्यंत दुःख के साथ सुचित करना पड़ रहा है कि हमारी पूज्यनीय माताजी

कौशल्या देवी अग्रवाल

(धर्मपत्नी : स्व. रामअवतार अग्रवाल) का स्वर्गवास दिनांक 8 जुलाई, 2017 को हो गया है।

द्वादश वर्ष श्राद्धकर्म - 20.07.2017 (शुक्रवार) टीका - 20.07.2017 (गुरुवार, संख्या 4 बजे)

स्थान : पल्ले नं. 209-210, महिमा पैलेस, मोहिन्द मित्रा रोड, पटना-4, मो. - 9386549100, 9931726055

शोकगुरु : जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल (पुत्र)

पूर्व मध्य रेल EAST CENTRAL RAILWAY

अधिसूचना

गाड़ी संख्या 22355 पाटलीपुत्र-चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्स. (द्वि-साप्ताहिकी) का गाड़ी संख्या 23255 पाटलीपुत्र-चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्स. (द्वि-साप्ताहिकी) में परिवर्तन।

पूर्व में दिनांक 22.03.2017/23.03.2017, प्रकाशित अधिसूचना संख्या PPR/1530/HQ/N के माध्यम से अधिसूचित की गई थी कि गाड़ी संख्या 13255 पाटलीपुत्र-चंडीगढ़ एक्सप्रेस के गती में वृद्धि के उपरान्त सुपरफास्ट किए जाने के बाद नया नं० 23255 हो गया है। उपरोक्त के आलोक में पाटलीपुत्र-चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस (द्वि-साप्ताहिकी) दिनांक 15.11.2017 तक गाड़ी संख्या 23255 के रूप में चलेगी। तत्कालीन करणों से दिनांक 15.11.2017 के बाद यह गाड़ी 23255 के बदले 22355 के नाम पर चलेगी।

मुग्या० परि० प्रबंधक, पू.म.रे., हाजीपुर

पीआर/0526/एचक्यू/एन/56

पूर्व मध्य रेल EAST CENTRAL RAILWAY

गेल (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम - एक महारतन कंपनी)

शेयरधारकों को सूचना

गेल (इंडिया) लिमिटेड ('कंपनी') के शेयरधारकों जिनके शेयर निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम 2016 ('नियम') के खंड 124(6) ('प्रावधान') और नियम 6(3) (क) के अनुरूप निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित किए जाने की सूचना एतद्वारा दी गई है। इस संबंध में कंपनी ने लगातार सात वर्ष तक लाभांश का भुगतान न होने या दावा न करने वाले शेयरधारकों के संबंध में डिपॉजिटरी/आर एंड टी ए के पास उपलब्ध नवीतम पते पर विशेष रूप से सूचित किया है जिसमें आईईपीएफ में अंतरित होने वाले शेयरों का विवरण निम्नवत दिया हुआ है:

लाभांश (वर्ष)	चौधण की तारीख (2009-10)	अंतरण की तारीख (2010)	आईईपीएफ सर्वेस खाते में शेयरों का अंतरण (2017)
अंतिम	22 सितम्बर 2010	21 अक्टूबर 2017	दिनांक 21 अक्टूबर, 2017 के उपरान्त (आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा डिपॉजिटरी भागीदार की सूचना के अन्वयेण)

ऐसे शेयरधारकों का विवरण जानने के लिए कृपया वेबसाइट www.gailonline.com/InvestorZone देखें।

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने लगातार सात वर्ष तक अपना लाभांश नहीं लिया है वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय (या ई-मेल shareholders@gail.co.in) या हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (पता: एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, युनिट: गेल (इंडिया) लिमिटेड, प्रथम तल, एफ-65, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 या ई मेल: admin@mcsregistrars.com) अन्य किसी जानकारी और कंपनी के पास पड़े हुए गैर दावात लाभांश हेतु दिनांक 21 अक्टूबर 2017 को और उससे पूर्व वैध दावे प्रस्तुत करें।

उपरोक्त तारीख के पश्चात संबंधित शेयरधारक उक्त शेयरों के साथ लाभांश(शेरा) का दावा आईईपीएफ से प्रक्रियानुसार कर सकते हैं तथा आईईपीएफ नियम 2016 में यथा निर्धारित कागजातों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारक कृपया वेबसाइट www.iepf.gov.in का संदर्भ ले सकते हैं।

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 19.07.2017

ई-मेल: shareholders@gail.co.in

वेबसाइट: www.gailonline.com

निगमित पहचान नं.: L40200DL1984G01018976

गेल (इंडिया) लिमिटेड, गेल भवन, 16, मीकाजी काना पैलेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066, फोन: 011-26182955, फैक्स: 011-26185941

युष्ठा प्रथम-सूचना दिल से किसी भी सूचना संबंधी मामलों के लिए 15101 (टोल फ्री) पर कॉल करें।

Govt. Engineering & Management College

MIMIT

Estbd. 1998 Approved by AICTE (New Delhi) & Affiliated to M.R.S.P.T.U., Bathinda

DIRECT ADMISSION - 2017

Accessible, Affordable and Quality Technical Education for all

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय अभियंता का कार्यालय, कार्य प्रमंडल नीमचक बथानी, (गया)

Dist. Engineer's Office, PWD, Naimchak, Bathina, (GAYA)



Life Insurance

Company	Plan	Sum Assured	Annual Premium
Life Insurance Corporation of India
...

Health Insurance

Company	Plan	Coverage	Premium
...

Corporate M&A

...

Real Estate

...

mint CLASSIFIEDS

Category	Details
Real Estate	...
Jobs	...
Business	...

PressReader

Two cases that may help decide if privacy is a fundamental right

The Constitution bench will examine if rights in these cases are acceptable to the crux of Article 32

By Anand Kumar

The Supreme Court is set to decide whether the right to privacy is a fundamental right under Article 32 of the Constitution. The court will examine two cases: *Justice K.S. Puttaswamy (Retired) vs Union of India* and *Puttaswamy vs Union of India*. The court will decide if the right to privacy is a fundamental right and if it is, whether it is acceptable to the crux of Article 32.

The court will also examine if the right to privacy is a fundamental right under Article 32. The court will decide if the right to privacy is a fundamental right and if it is, whether it is acceptable to the crux of Article 32.

at reached a peak under Narendra Modi's leadership?

By Anand Kumar

The Supreme Court is set to decide whether the right to privacy is a fundamental right under Article 32 of the Constitution. The court will examine two cases: *Justice K.S. Puttaswamy (Retired) vs Union of India* and *Puttaswamy vs Union of India*. The court will decide if the right to privacy is a fundamental right and if it is, whether it is acceptable to the crux of Article 32.

The court will also examine if the right to privacy is a fundamental right under Article 32. The court will decide if the right to privacy is a fundamental right and if it is, whether it is acceptable to the crux of Article 32.

G-20 LEADERS FAIL TO GENERATE INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION

By Anand Kumar

The Supreme Court is set to decide whether the right to privacy is a fundamental right under Article 32 of the Constitution. The court will examine two cases: *Justice K.S. Puttaswamy (Retired) vs Union of India* and *Puttaswamy vs Union of India*. The court will decide if the right to privacy is a fundamental right and if it is, whether it is acceptable to the crux of Article 32.

The court will also examine if the right to privacy is a fundamental right under Article 32. The court will decide if the right to privacy is a fundamental right and if it is, whether it is acceptable to the crux of Article 32.



[View all thumbnails](#)

Bookmarks

Thumbnails